राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई मेल—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर—12685\2013) / अलेसे—III / 3044 दिनांक:— 15.03.2024

आदेश संख्या 113 / 2023—24

विभागीय आदेश संख्या 61 / 2017—18 दिनांक 30.06.2017 द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, (मेरिट नंबर—688 / 2013) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन कार्यालय उपकोषाधिकारी थानागाजी, अलवर में किया गया था, जिसकी अनुपालना में श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 03.07.2017 को मध्यान्ह् पूर्व कार्यग्रहण किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण होने पर सहायक आचार्य (BADM) के पद पर चयन होने के उपरान्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक 909 दिनांक 14.03.2024 द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा का पदस्थापन राजकीय महाविधालय एम.एस.जे. भरतपुर में सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन के पद पर किए जाने पर उमेश कुमार शर्मा द्वारा उपकोषाधिकारी थानागाजी, अलवर के पत्रांक 22 दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II पद से कार्यमुक्त होने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु श्री उमेश कुमार शर्मा को विभागीय पत्रांक 434 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जा चुका है। अब उपकोषाधिकारी थानागाजी, अलवर को सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन के पद पर चयन होने पर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II के पद से कार्यमुक्त करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री उमेश कुमार शर्मा नियमानुसार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात ही नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर सकेंगें। श्री उमेश कुमार शर्मा का सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II पद पर नियमानुसार पदाधिकार रहेगा।

श्री उमेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II के विरूद्व कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित / प्रस्तावित नहीं है।

यह निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर—12685\2013) / अलेसे—III / 3044 दिनांक:— 15.03.2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त (राजस्व) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उपकोषाधिकारी थानागाजी, अलवर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. उप विधि परामर्शी कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक।
7. पदस्थापन कार्मिक (कार्मिक—II, III) को ईकजाई रिकार्ड संधारण हेतु।
8. श्री उमेश कुमार शर्मा, कार्यालय उपकोषाधिकारी थानागाजी, अलवर।
9. प्रभारी वरिष्ठता सूची, एसीआर शाखा।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

Letter 2024